


## 2-1 dj i'kkl u

वाणिज्यिक कर विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख राजस्व आय विभागों में से एक है। वाणिज्यिक कर-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग व्यवसायियों के प्रकरणों के निर्धारण के माध्यम से राज्य में मूल्य संवर्धित कर एवं वस्तु एवं सेवा कर के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के द्वारा प्रशासित होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु चार अपर आयुक्त (अ. आ.), 12 उपायुक्त (उ. आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.), एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि), जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (छ.ग.मू.सं.क.) अधिनियम, 2005 में निहित किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में दो अ.आ., 10 उ.आ., 19 स.आ., 71 वा.क.अ., 18 स.वा.क.अ. एवं 116 वा.क.नि. कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में प्रवर्तन शाखा है जिसकी अध्यक्षता आयुक्त करते हैं, जिसमें एक संयुक्त आयुक्त, एक उ.आ., एक स.आ. और दो निरीक्षक जो आकस्मिक निरीक्षण करते हैं एवं कर की अपवंचन का पता लगाने के लिए पदस्थ है। दो क्षेत्रीय शाखायें हैं जो रायपुर और बिलासपुर में स्थित हैं। विभाग का संगठनात्मक संरचना pkVI 2-1 में दर्शाया गया है।

pkVI 2-1% I xBukRed I j'puk




वाणिज्यिक कर- जीएसटी राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है और राज्य के कुल राजस्व का 18.96 प्रतिशत है। वर्षानुवर्ष इसकी वृद्धि हुई है एवं 2018-19 के

दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व का 42.38 प्रतिशत और राज्य शासन के कुल राजस्व<sup>1</sup> का 18.96 प्रतिशत का योगदान रहा।

वर्ष 2017-18 (जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व ₹ 4,386.56 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 8,203.41 करोड़ (87.01 प्रतिशत) हुई।

वर्ष 2018-19 के माहों के दौरान, वाणिज्यिक कर- जीएसटी की प्राप्तियों में व्यापक उतार-चढ़ाव था जिसमें वर्ष के कुल प्राप्तियों ₹ 12,345.64<sup>2</sup> करोड़ में से अगस्त 2018 में वर्ष के दौरान अधिकतम प्राप्ति 15.32 प्रतिशत दर्ज हुई एवं अप्रैल 2018 में न्यूनतम प्राप्ति 4.26 प्रतिशत दर्ज हुई जैसा कि नीचे दर्शाये गए pkVI 2-2 में देखा जा सकता है:



वाणिज्यिक करों की प्राप्तियाँ (30/6/2017 तक) निम्न अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियम, 1957
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976

<sup>1</sup> राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

<sup>2</sup> मार्च माह के लिए वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 1,603.55 करोड़ और मुख्य शीर्ष 0006; 0040 और 0042 के तहत राशि (-) ₹ 2.27 करोड़ की जर्नल प्रविष्टि मार्च के महीने में समायोजित की गई है।

- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया और उक्त कर निम्न प्रावधानों के तहत प्रशासित है:

- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017

## 2-2 थ, l Vh Mvk dk , DI j u gkuk

केन्द्र सरकार ने देश भर में वस्तु एवं सेवा कर दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रारंभ किया। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर<sup>3</sup> है जिसको केन्द्र (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी)/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीजीएसटी) दोनों द्वारा एक साथ कर योग्य घटना अर्थात् वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए शराब और पाँच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों<sup>4</sup> को छोड़कर) पर लगाया जाता है। आगे एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर्राज्यीय वस्तु या सेवा (आयात समेत) की आपूर्ति पर लगाया जाता है और केन्द्र को आईजीएसटी लगाने का एकाधिकार है। जीएसटी लागू होने से पहले मूल्य संवर्धित कर (वैट), वस्तु की राज्य के अन्दर विक्री पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय विक्री कर (कें.वि.क.) को वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर के.वि.क. अधिनियम, 1956 के अनुसार लगाया जाता था।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017) और 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया। जीएसटी के संग्रहण के स्वचालन के साथ, लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य है कि जीएसटी डेटा का एक्सेस प्राप्त हो जिसे सभी संव्यवहारों के नमूना जाँच से विस्तृत जाँच का पारगमन एवं राजस्व वसूली पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके। यद्यपि केन्द्र सरकार ने (जून 2020) जीएसटी के अखिल भारतीय आकड़ों को जीएसटीएन परिसर से प्रदान करने का निर्णय लिया है तथापि इस प्रशासनिक निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है। नवम्बर 2020 की स्थिति में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ को जीएसटी डेटा की एक्सेस प्राप्त नहीं हो सकी है।

## 2-3 ys[ kki j h{kk i fj . kke

वर्ष 2018-19 में वाणिज्यिक कर-जीएसटी विभाग की कुल 61 इकाईयों में से 15<sup>5</sup> इकाईयों (24.59 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा, कर निर्धारण नस्ति एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का निर्धारण, आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार किया गया एवं शासन के हितों का संरक्षण किया गया।

<sup>3</sup> केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन निर्माण अधिनियम के तहत लगाये गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.), विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर।

<sup>4</sup> पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस।

<sup>5</sup> वा.क.अ-4, रायपुर ; वा.क.अ.-3, रायपुर;; वा.क.अ.-7, रायपुर; वा.क.अ.-1, कोरबा; ; वा.क.अ.-1, बिलासपुर ; वा.क.अ.-2, कोरबा ; वा.क.अ.-8, रायपुर; ; वा.क.अ.-2, जगदलपुर; वा.क.अ.-2, रायपुर; वा.क.अ.-6, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़; वा.क.अ.-1, रायपुर एवं वा.क.अ.-2, दुर्ग

लेखापरीक्षा द्वारा 15 इकाइयों के 30,650 (18,299 स्व-कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 12,351) प्रकरणों में से 6,033 (2,924 स्व-कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 3,109) प्रकरणों की जाँच की गई जो कि चुनी गई इकाइयों के कुल प्रकरणों का 19.68 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा कुल ₹ 6,927.26<sup>6</sup> करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जिसमें से निरीक्षण की गई इकाइयों द्वारा ₹ 6,147.17 करोड़ संग्रहण किया गया, जो कि कुल राजस्व का 89 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा द्वारा 198 प्रकरणों (149 स्व-कर निर्धारण और 49 कर निर्धारण प्रकरण) में राशि ₹ 34.95 करोड़ के विभिन्न अधिनियमों/संहिताओं/नियमावली के अनुपालन करना नहीं पाया गया, जो कि निम्न rkfydk 2-1 में विभिन्न श्रेणियों में वर्णित है:

rkfydk 2-1% ys[kki jh{kk i fj . kke

₹ dj kM+ eW

I - Ø-	Js kh	i dj . kka dh l a[ ; k	jkf' k
1.	कर का अवरोपण/अनारोपण	79	10.34
2.	छूट/कमी का गलत प्रदाय किया जाना	36	8.85
3.	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	30	6.64
4.	करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण	6	1.08
5.	अन्य अनियमिततायें <sup>7</sup>	47	8.04
; ksx		198	34.95

तथ्यात्मक विवरणों के जारी किए जाने के पश्चात विभाग द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 0.68 लाख की वसूली की गई। विभाग के अंतर्गत अन्य इकाइयों में भी समान प्रकार की अनियमिततायें, त्रुटियाँ या चूक हो सकती है जिन्हे नमूना जाँच लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। अतः करों का आरोपण अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है या नहीं को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को सभी इकाइयों की जाँच करनी चाहिए।

eW; l of/klr dj

2-4 dj dk vojksi . k

eW; l of/klr dj dh de nj ds vuiz; ksx l s dj dh jkf' k ₹ 1-54 dj kM+ , oa ' kkfLr ₹ 3-08 dj kM+ dk vojksi . kA

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (छ.ग.मू.सं.क.अ.) 2005, प्रावधानित करता है कि इसमें संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर से कर आरोपणीय है।

चार<sup>8</sup> इकाइयों के निर्धारण अभिलेखों 6,823 (स्व-कर निर्धारण 2,587 एवं कर निर्धारण 4,236) में से 2,055 (953 स्व-कर निर्धारण एवं 1,102 कर निर्धारण) प्रकरणों (कुल प्रकरणों के 30.12 प्रतिशत) के नमूना जाँच (सितम्बर 2018 एवं नवम्बर 2018 के मध्य) में पाया गया कि आठ व्यवसायियों के नौ प्रकरणों (दो स्व-कर निर्धारण एवं सात कर निर्धारण) में उपरोक्त दर, पाँच एवं 14 प्रतिशत के विरुद्ध गलत कर के दर शून्य एवं पाँच प्रतिशत लागू की गई। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण प्रकरणों में भी माल पर गलत दर के आरोपण की जाँच करने में विफल रहे और कोई कर आरोपित नहीं की

<sup>6</sup> प्रवेश कर से प्राप्त राशि ₹ 477.66 करोड़ सम्मिलित

<sup>7</sup> अधिक/अस्वीकार्य आगत कर का दावा; आवर्त में क्रेडिट नोट या प्राप्त छूट को सम्मिलित न किया जाना, श्रम घटक का सम्मिलित न किया जाना, इत्यादि की टिप्पणियाँ, अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है।

<sup>8</sup> वा.क.अ.-3, रायपुर; वा.क.अ.-6, रायपुर; वा.क.अ.-7, रायपुर एवं वा.क.अ.-9, रायपुर।

गई अथवा कर की कम दर आरोपित की गई। लेखापरीक्षा द्वारा रिटर्न में संलग्न दस्तावेजों (विक्रय/खरीद विवरण) की जाँच में पाया गया कि इन मालों<sup>9</sup> पर पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 1.54 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.08 करोड़ का अवरोपण हुआ जो कि i f j f ' k " V 2-1 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग द्वारा मू.सं.क. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। यद्यपि इस प्रणाली में प्रत्येक वस्तु/माल को कर की दर के साथ कोडिंग का प्रावधान नहीं था जिसे व्यवसायी इन्द्राज कर सके। व्यवसायियों द्वारा वस्तु/माल पर लगाई जा रही कर के दर के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली के अभाव में, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटि वर्षों तक पकड़े नहीं गये, जिसके फलस्वरूप कर के कम दर का आरोपण/भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा (दिसम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) इस मामले को शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया। शासन ने उत्तर में कहा (मई एवं जुलाई 2020) कि छः प्रकरणों में ₹ 2.88 करोड़ की माँग जारी की गई है, दो प्रकरणों को धारा 22(1) के तहत पुनः खोले गए हैं एवं एक प्रकरण में पुनः निर्धारण के लिए सूचना पत्र जारी किया गया है। इस कार्यशीलता के निर्माण के लिए आईटी प्रणाली में बदलाव से संबंधित प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।

d\h; foØ; dj

2-5 d\h; foØ; dj vf/kfu; e ds vrxr varjkt; h; rFk fu; kr  
I ; ogkka ds I kFk oYkkfud Okkbl , oa I effkr nLrkostka dks tek  
fd, tkus ea vfu; ferrkA

dj fu/kk; .k vf/kdkfj; ka %d-fu-v-% }kjk varjkt; h; foØ; ] eky varj .k]  
i kjxeu vkj fu; kr foØ; ds fo: ) NW@fj; k; rh dj dh xyr nj ekl;  
fd; s tkus ds QyLo: i dj ₹ 1-53 djkm+ dk vu@vojki .ka

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम, 1956 प्रावधानित करती है कि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय, घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म समर्थित होने पर जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर लागू होगा। पारगमन बिक्री के संबंध में अर्थात् माल के आवाजाही के दौरान बिक्री पर विक्रेता व्यवसायी को कर के भुगतान से छूट के दावे के लिए फॉर्म ई-I/II और फॉर्म 'सी' को प्रस्तुत करना होगा। आगे, माल बिक्री (शाखा अंतरण) एवं निर्यात बिक्री पर क्रमशः वैधानिक 'एफ' तथा 'एच' फॉर्म के प्रस्तुति पर कर के भुगतान से छूट होगी। समर्थित दस्तावेजों और वैधानिक फॉर्मों के अभाव में, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

कुल 3,925 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 2,845 एवं कर निर्धारण 1,080) में से 1,161 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 654 एवं कर निर्धारण 507) अर्थात् चार<sup>10</sup> इकाइयों के कुल प्रकरणों के 29.58 प्रतिशत की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया (नवम्बर 2017 एवं नवम्बर 2018 के मध्य) कि पाँच व्यवसायियों के पाँच स्व-कर निर्धारण प्रकरणों में अंतर्राज्यीय विक्रय ₹ 6.05 करोड़ के समर्थन में कोई 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये गये। 'सी' फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को शून्य अथवा दो प्रतिशत

<sup>9</sup> बैटरी, एल्यूमीनियम कोम्पोजीट पैनल शीट; सीमेंट शीट; पोली फिल्मस; चोकोलेट्स का कच्चा माल, जैव-उर्वरक एवं इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड्स।

<sup>10</sup> वा.क.अ.-3, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; वा.क.अ.-2, कोरबा एवं स.आ.वा.क., रायगढ़।

के स्थान पर पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जाना था। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में निर्धारित दर के अनुसार करारोपण किया जाना था। परन्तु, व्यवसायियों द्वारा रियायती दर से कर का लाभ उठाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 0.61 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि परिशिष्ट 2-2 में वर्णित है।

कुल 776 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 418 एवं कर निर्धारण 358) में से 417 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 221 एवं कर निर्धारण 196) अर्थात् वा.क.अ.-3, रायपुर के कुल प्रकरणों के 53.74 प्रतिशत की नमूना जांच के दौरान पाया (सितम्बर 2018) गया कि दो व्यवसायियों के दो स्व-कर निर्धारण प्रकरणों में शाखा अंतरण राशि ₹ 1.38 करोड़ के समर्थन में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया। 'एफ' फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। बिना 'एफ' फॉर्म के शाखा अंतरण पर निर्धारण प्राधिकारियों को नियमानुसार करारोपण करना था। परन्तु, व्यवसायियों द्वारा कर से छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 0.19 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि i f j f ' k " V 2-3 में वर्णित है।

आगे कुल 6,672 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 4,424 एवं कर निर्धारण 2,248) में से 1,897 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 954 एवं कर निर्धारण 943) अर्थात् पाँच<sup>11</sup> इकाईयों के कुल प्रकरणों के 28.43 प्रतिशत की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि 10 व्यवसायियों के 10 प्रकरणों (नौ स्व-कर निर्धारण प्रकरण एवं एक कर निर्धारण प्रकरण) में अधिनियम 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय राशि ₹ 12.17 करोड़ के समर्थन में 'ई1/सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु उक्त संव्यवहार पर कर से छूट का दावा किया गया। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को दो/पाँच की दर से कर का भुगतान करना था। परन्तु, व्यवसायियों द्वारा कर से छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 0.40 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि i f j f ' k " V 2-4 में वर्णित है।

इसी प्रकार कुल 1,185 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 300 एवं कर निर्धारण 885) में से 721 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण 288 एवं कर निर्धारण 433) अर्थात् वा.क.अ.-7, रायपुर के कुल प्रकरणों के 60.84 प्रतिशत की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया (सितम्बर 2018) गया कि एक व्यवसायी के एक स्व-कर निर्धारण प्रकरण में निर्यात विक्रय राशि ₹ 6.56 करोड़ के समर्थन में 'एच' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायी पाँच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। परन्तु, व्यवसायी द्वारा के.वि.क. अधिनियम के तहत कर से छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 0.33 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि i f j f ' k " V 2-5 में वर्णित है।

इस प्रकार, वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच जो विभागीय परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार अनिवार्य था, करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे जिसके फलस्वरूप कर की राशि ₹ 1.53 करोड़ की कम वसूली हुई।

मामला शासन/विभाग को उनके टिप्पणियों के लिए सूचित (दिसम्बर 2019 एवं जनवरी 2020) किया गया। शासन ने कहा (मई एवं जुलाई 2020) कि दो प्रकरणों में राशि ₹ 2.83 लाख की वसूली की गई है तथा 11 प्रकरणों में राशि ₹ 2.85 करोड़ की माँग जारी की गई है। आगे छः प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः निर्धारण के लिए खोले गए एवं एक प्रकरण में पुनः निर्धारण के लिए सूचना जारी की गई।

<sup>11</sup> वा.क.अ.-2, कोरबा; वा.क.अ.-7, रायपुर; वा.क.अ.-2, रायपुर; वा.क.अ.-5, रायपुर एवं वा.क.अ.-8, रायपुर।

चूँकि नमूना जांच के दौरान गैर-अनुपालन/अनियमितताओं के उपरोक्त मामले प्रकाश में आए हैं, इसलिए विभाग के अधीन अन्य इकाईयों में भी ऐसी अनियमिततायें, त्रुटियां या चूक हो सकती है जो नमूना जांच में शामिल नहीं की गईं। अतः विभाग को, कर का आरोपण अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं, सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाईयों की जाँच करनी चाहिए। आगे, विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अधिक कड़ाई से विवरणियों की जाँच करें और निर्धारित अधिनियमों/नियमों के अनुसार सही दरों पर कर का निर्धारण, आरोपण और वसूली करें।